



SIX SIGMA IAS

Dream | Dare | Deliver



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **APRIL 29, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com




ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. IIP विकास दर में गिरावट का विश्लेषण: मार्च 2026	2
2. ओपेक (OPEC) से यूई का बाहर होना: भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ	5
3. मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करेगा: उच्च स्तरीय पैनल का गठन	7
4. ILO में CITU की शिकायत: भारत में श्रम अधिकारों का उल्लंघन	10
5. आंध्र प्रदेश में गूगल का 1-गीगावाट AI डेटा हब: एक डिजिटल मील का पत्थर	12
6. UNGA अध्यक्ष की भारत यात्रा: बहुपक्षवाद और UNSC सुधार पर ध्यान	13
7. न्यायिक सुधार (Judicial Recusal): कानूनी मानक और दिल्ली उच्च न्यायालय का उदाहरण	14
8. आरटीई (RTE) अधिनियम और सामाजिक समावेश: एकीकृत शिक्षा मॉडल को सुदृढ़ बनाना	16
9. नासिक कॉर्पोरेट कदाचार मामला: कानूनी और नैतिक आयाम	17
10. उत्तराखंड के जंगलों की आग: पारिस्थितिक प्रभाव और प्रबंधन चुनौतियाँ	18
11. अंडमान सागर त्रासदी: रोहिंग्या समुद्री संकट और शासन का अभाव	19
12. पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियामक कार्रवाई: वित्तीय निहितार्थ और कानूनी ढांचा	20



1. IIP विकास दर में गिरावट का विश्लेषण: मार्च 2026

मार्च 2026 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की वृद्धि दर पांच महीने के निचले स्तर 4.1% पर आ गई। यह मंदी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 28 फरवरी, 2026 को शुरू हुए पश्चिम एशिया संकट के बाद औद्योगिक डेटा का पहला सेट है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2025-26 का समापन 4.1% की संचयी वृद्धि के साथ हुआ—जो पिछले वर्ष के 4.07% से थोड़ा अधिक है—लेकिन मासिक गिरावट उभरते आपूर्ति-पक्ष के दबावों और घरेलू खपत में कमी को दर्शाती है।


औद्योगिक प्रवृत्तियों का मुख्य सारांश

- **पश्चिम एशिया संकट का प्रभाव:** मार्च के आंकड़े पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती झटकों को दर्शाते हैं, जो मुख्य रूप से उच्च इनपुट लागत और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की तंग आपूर्ति के रूप में प्रकट हुए, जिसने विनिर्माण क्षेत्र को सीधे प्रभावित किया।
- **विनिर्माण और मुख्य क्षेत्र में अंतर:** मार्च में विनिर्माण क्षेत्र में 4.3% की वृद्धि हुई; हालाँकि, **आठ मुख्य उद्योगों** (जो IIP का लगभग 40% हिस्सा हैं) में 0.4% की गिरावट आई, जो प्राथमिक उत्पादन और तैयार आउटपुट के बीच एक गहरे अंतर का संकेत देता है।

- **पूँजीगत वस्तुओं में लचीलापन:** एक सकारात्मक बदलाव में, पूँजीगत वस्तु क्षेत्र 14.6% के 29 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो यह बताता है कि बाहरी झटकों के बावजूद, दीर्घकालिक औद्योगिक निवेश और क्षमता विस्तार मजबूत बना हुआ है।

Slippery slope

Latest official data showed that IIP growth has been slowing since January 2026, even before the West Asia war began



SOURCE: MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

- **बुनियादी ढांचा और निर्माण में मंदी:** इस खंड में विकास दर नौ महीने के निचले स्तर 6.7% पर आ गई। यद्यपि यह अभी भी सकारात्मक है, लेकिन इस श्रम-प्रधान क्षेत्र में विकास दर का लगभग आधा होना अचल संपत्ति निर्माण में संभावित नरमी का संकेत देता है।
- **सुस्त उपभोक्ता मांग:** पिछले वर्ष के अनुकूल कम आधार के बावजूद, उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में केवल 1.1% की मामूली वृद्धि हुई। यह ग्रामीण और शहरी जन उपभोग में निरंतर कमजोरी को रेखांकित करता है।
- **वित्तीय वर्ष का प्रदर्शन:** वित्त वर्ष 26 के लिए, समग्र औद्योगिक विकास 4.1% पर स्थिर रहा, जिसने अस्थिर वैश्विक पृष्ठभूमि के खिलाफ लचीलापन दिखाया, हालांकि अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च) के दौरान गति लगातार धीमी होती गई।

प्रमुख परिभाषाएँ और संस्थागत ढांचा

- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP):** एक सूचकांक जो चुने हुए आधार वर्ष के संबंध में एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की एक टोकरी के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को ट्रैक करता है।
- **आधार वर्ष:** वर्तमान में 2011-12।

- **नोडल एजेंसी:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
- **मुख्य उद्योग:** "आठ मुख्य उद्योगों" में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं। IIP में इनका भार \$40.27\%\$ है।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

- **अनुच्छेद 246 (सातवीं अनुसूची):** "उद्योग" मुख्य रूप से एक राज्य का विषय है (प्रविष्टि 24, सूची II), लेकिन "औद्योगिक नीति" और "खानों एवं खनिज विकास का विनियमन" अक्सर सार्वजनिक हित में संघ सूची (प्रविष्टि 7 और 52, सूची I) के अंतर्गत आते हैं।
- **सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008:** IIP जैसे सूचकांकों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए NSO को औद्योगिक इकाइयों से डेटा एकत्र करने हेतु कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

अतिरिक्त प्रमुख दृष्टिकोण

- **आपूर्ति-पक्ष की बाधाएं:** पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि भारतीय निर्माताओं के लिए "इनपुट मुद्रास्फीति" बढ़ा रही है, जिससे मात्रा स्थिर रहने पर भी लाभ मार्जिन कम हो रहा है।
- **निवेश बनाम खपत:** पूंजीगत वस्तुओं में उच्च वृद्धि (14.6%) बनाम उपभोक्ता वस्तुओं में कम वृद्धि (1.1%) एक "K-आकार" के औद्योगिक सुधार को उजागर करती है, जहाँ निवेश-आधारित विकास घरेलू मांग से आगे निकल रहा है।

निष्कर्ष

वित्त वर्ष 27 के शुरुआती महीनों के लिए औद्योगिक दृष्टिकोण सतर्क बना हुआ है। जहां पूंजीगत और बुनियादी ढांचा वस्तुओं में मजबूती दर्शाती है कि सरकार का CAPEX (पूंजीगत व्यय) पर जोर परिणाम दे रहा है, वहीं उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में ठहराव और मुख्य क्षेत्र में गिरावट चिंता के विषय हैं। आगामी तिमाहियों में औद्योगिक गति का प्राथमिक निर्धारक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और घरेलू ईंधन की कीमतों पर पश्चिम एशिया संकट का पूर्ण प्रभाव होगा।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III (अर्थव्यवस्था):** औद्योगिक विकास, IIP और विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन आवर्ती विषय है। प्रीलिम्स के लिए IIP के घटकों और आठ प्रमुख उद्योगों को समझना आवश्यक है।

- **भू-राजनीतिक प्रभाव:** पश्चिम एशिया संकट और भारतीय व्यापक आर्थिक संकेतकों (मुद्रास्फीति, IIP, व्यापार घाटा) के बीच संबंध "भारतीय अर्थव्यवस्था पर बाहरी झटके" के संबंध में मेन्स विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

2. ओपेक (OPEC) से यूएई का बाहर होना: भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) और व्यापक OPEC+ गठबंधन से हटने के अपने फैसले की घोषणा की है। यह कदम **हॉर्मुज जलडमरूमध्य** से जुड़े गंभीर ऊर्जा संकट और ईरान से जुड़े बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच आया है। यह निर्णय खाड़ी की भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो यूएई और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चली आ रही ऊर्जा साझेदारी के टूटने को दर्शाता है। ब्लॉक से बाहर निकलकर, यूएई उत्पादन कोटा को दरकिनार करना चाहता है और वैश्विक मांग को पूरा करने तथा अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए तेल क्षमता में अपने भारी घरेलू निवेश का लाभ उठाना चाहता है।

संकट का मुख्य सारांश

- **रणनीतिक स्वायत्तता:** यूएई का बाहर निकलना तेल उत्पादन बुनियादी ढांचे में अपने महत्वपूर्ण निवेशों से कमाई करने की इच्छा से प्रेरित है, जो पहले ओपेक की कठोर उत्पादन सीमाओं के कारण प्रतिबंधित थे।
- **भू-राजनीतिक घर्षण:** यह निर्णय क्षेत्रीय नेतृत्व, आर्थिक विविधीकरण रणनीतियों और ईरान के नेतृत्व वाले ऊर्जा संकट से निपटने के मामले में यूएई और सऊदी अरब के बीच बढ़ते मतभेदों को रेखांकित करता है।
- **हॉर्मुज जलडमरूमध्य संकट:** चल रहे संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, जिससे यूएई को बाजार की स्थिरता और राजस्व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने निर्यात पर स्वतंत्र नियंत्रण की तलाश करने के लिए प्रेरित किया गया है।
- **बाजार प्रभाव:** एक प्रमुख उत्पादक के रूप में, यूएई के जाने से ओपेक की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति और समन्वित आपूर्ति कटौती के माध्यम से वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित करने की क्षमता कमजोर होती है।



- **आयातकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा:** यह कदम भारत जैसे तेल आयातक देशों को राहत प्रदान कर सकता है, क्योंकि यूएई अब क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण होने वाली आपूर्ति की कमी को भरने के लिए उत्पादन बढ़ा सकता है।
- **OPEC+ का भविष्य:** एक प्रमुख सदस्य के जाने से OPEC+ ढांचे के अस्तित्व पर सवाल उठते हैं, जिससे संभावित रूप से "मूल्य युद्ध" (price war) छिड़ सकता है या उत्पादन पर संप्रभु नियंत्रण चाहने वाले अन्य सदस्य भी बाहर निकल सकते हैं।

ओपेक और ओपेक+ को समझना

- **OPEC:** 1960 में बगदाद सम्मेलन में बनाया गया एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन। इसका प्राथमिक उद्देश्य तेल बाजारों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है।
- **OPEC+:** 2016 में गठित एक बड़ा समूह जिसमें 13 ओपेक सदस्य और रूस सहित 10 गैर-ओपेक तेल उत्पादक देश शामिल हैं। यह गठबंधन अमेरिकी शेल तेल के उदय के जवाब में वैश्विक तेल आपूर्ति पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था।

प्रमुख परिभाषाएँ

- **हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz):** फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक संकीर्ण जलमार्ग। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन चोकपॉइंट है, जिससे वैश्विक तेल खपत का लगभग 1/5 हिस्सा गुजरता है।
- **उत्पादन कोटा:** ओपेक द्वारा तेल की मात्रा पर निर्धारित सीमा जिसे एक सदस्य देश उत्पादित और निर्यात कर सकता है, जिसका उद्देश्य अतिरिक्त आपूर्ति को रोकना और उच्च मूल्य स्तर बनाए रखना है।
- **पेट्रॉडॉलर:** अमेरिकी डॉलर में कच्चे तेल के मूल्य निर्धारण और व्यापार की प्रथा, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली और डॉलर की ताकत को आधार प्रदान करती है।

भारत के रणनीतिक हित और संवैधानिक संदर्भ

- **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत अपने कच्चे तेल का 80% से अधिक आयात करता है। फारस की खाड़ी में कोई भी अस्थिरता या ओपेक की संरचना में बदलाव सीधे भारत के चालू खाता घाटे (CAD) और घरेलू मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है।

- **अनुच्छेद 73:** संघ की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तृत है जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, जिसमें "विदेशी मामले" और "विदेशी देशों के साथ संधियाँ और समझौते करना" शामिल है।
- **रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR):** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत, भारत आपात स्थिति के लिए कच्चे तेल के भंडारण हेतु भूमिगत गुफाएं रखता है, जो पश्चिम एशियाई क्षेत्र की अस्थिरता के कारण आवश्यक नीति है।

निष्कर्ष

ओपेक से यूई का बाहर निकलना वैश्विक ऊर्जा गुटों (cartels) के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हालांकि यह यूई को अपने "काले सोने" के भंडार को अधिकतम करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह उस ब्लॉक की एकजुटता को खतरे में डालता है जिसने छह दशकों से अधिक समय तक ऊर्जा बाजारों पर प्रभुत्व बनाए रखा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए, इससे अल्पकालिक आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है लेकिन दीर्घकालिक मूल्य अस्थिरता बढ़ सकती है क्योंकि बाजार विनियमन के पारंपरिक तंत्र समाप्त हो रहे हैं।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** "भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह" और "भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव" से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
- **GS पेपर III (अर्थव्यवस्था):** "ऊर्जा", "बुनियादी ढांचा" और "व्यापक आर्थिक स्थिरता" से संबंधित विषयों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
- **प्रीलिम्स:** हॉर्मूज जलडमरूमध्य, OPEC/OPEC+ सदस्यों की सूची और भारत की ऊर्जा आयात निर्भरता पर तथ्य-आधारित प्रश्न।

3. मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करेगा: उच्च स्तरीय पैनल का गठन

मध्य प्रदेश सरकार ने छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन करके समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद की अध्यक्षता में, पैनल को 60 दिनों की समय सीमा के भीतर एक मसौदा विधेयक प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। यह कदम उत्तराखंड और गुजरात द्वारा स्थापित मिसाल का अनुसरण करता है,

जिसका उद्देश्य विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों (personal laws) को नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक सामान्य सेट से बदलना है। राज्य सरकार का इरादा दीपावली 2026 से पहले विधानसभा में कानून पेश करने का है, जो भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक में कानूनी मानकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विधायी पहल का मुख्य सारांश

- विशेषज्ञ समिति का गठन:** सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल को व्यापक यूसीसी विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए व्यक्तिगत कानूनों की कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक जटिलताओं की जांच करने का काम सौंपा गया है।
- शासन का दायरा:** प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत और संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करना है, जो वर्तमान में विभिन्न धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं।
- समयबद्ध ढांचा:** सरकार ने समिति को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए 60 दिन की सख्त समय सीमा तय की है, जो 2026 कैलेंडर वर्ष के अंत से पहले विधायी कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता देने का संकेत देती है।
- समानता पर जोर:** आधिकारिक आदेश "कानूनी स्पष्टता, समानता और न्याय" की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक प्रथाओं को भेदभाव रहित आधुनिक संवैधानिक सिद्धांतों के साथ संतुलित करना है।
- अंतर-राज्य समन्वय:** पैनल "उत्तराखंड मॉडल" (UCC लागू करने वाला पहला राज्य) और "गुजरात मॉडल" का अध्ययन करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मसौदा व्यावहारिक और संभावित न्यायिक चुनौतियों के खिलाफ कानूनी रूप से लचीला हो।
- प्रशासनिक निरीक्षण:** मुख्यमंत्री मोहन यादव सीधे प्रगति की निगरानी कर रहे हैं, और कैबिनेट मंत्रियों को सामाजिक-कानूनी बदलाव पर सार्वजनिक और राजनीतिक आम सहमति सुनिश्चित करने का निर्देश दे रहे हैं।



संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

- **अनुच्छेद 44 (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत):** संविधान के भाग IV में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।"
- **अनुच्छेद 25-28 (धर्म की स्वतंत्रता):** ये लेख धर्म का पालन करने और प्रचार करने के अधिकार की रक्षा करते हैं, जो अक्सर व्यक्तिगत कानूनों और राज्य-अनिवार्य एकरूपता के प्रतिच्छेदन के संबंध में कानूनी बहस का केंद्र बनते हैं।
- **समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची):** विवाह, तलाक और उत्तराधिकार समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं। यह संघ और राज्य सरकारों दोनों को इन मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, हालांकि राज्य के कानूनों को अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है यदि वे मौजूदा केंद्रीय कानूनों के साथ संघर्ष करते हैं।
- **अनुच्छेद 14 और 15:** यूसीसी को अक्सर समानता के अधिकार और धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव के निषेध को बनाए रखने के लिए एक उपकरण के रूप में बचाव किया जाता है।

प्रमुख परिभाषाएँ

- **समान नागरिक संहिता (UCC):** सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म, जाति या जनजाति की परवाह किए बिना व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक साझा सेट, जो धार्मिक ग्रंथों और रीति-रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों की जगह लेता है।
- **व्यक्तिगत कानून (Personal Laws):** किसी विशिष्ट समूह के लोगों पर उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर लागू होने वाले कानून, जो पारिवारिक जीवन और संपत्ति जैसे निजी क्षेत्रों को कवर करते हैं।
- **राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP):** संविधान में सूचीबद्ध गैर-न्यायोचित सिद्धांत जो सरकार के लिए एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने हेतु दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करते हैं।

विश्लेषण के लिए अतिरिक्त प्रमुख बिंदु

- **लैंगिक न्याय:** यूसीसी के लिए एक प्रमुख तर्क विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में पितृसत्तात्मक व्याख्याओं को हटाना है, विशेष रूप से महिलाओं के भरण-पोषण और विरासत अधिकारों के संबंध में।
- **जनजातीय छूट:** मध्य प्रदेश के लिए सबसे संवेदनशील पहलुओं में से एक—इसकी महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी को देखते हुए—यह है कि क्या प्रथागत जनजातीय कानूनों को छूट दी जाएगी, जैसा कि उत्तराखंड यूसीसी मॉडल में देखा गया था।

- **न्यायिक मिसालें:** सुप्रीम कोर्ट ने **शाह बानो (1985)** और **सरला मुद्गल (1995)** जैसे ऐतिहासिक मामलों में सरकार को यूसीसी की ओर प्रेरित किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि सामान्य कानून राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं।

निष्कर्ष

न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद समिति का गठन समान नागरिक संहिता पर राजनीतिक बयानबाजी से विधायी कार्रवाई की ओर मध्य प्रदेश के संक्रमण का प्रतीक है। हालांकि यह पहल नागरिक शासन को आधुनिक बनाने और कानूनी समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है, लेकिन प्राथमिक चुनौती राज्य के विविध सांस्कृतिक और धार्मिक ताने-बाने के साथ समान कानूनों का सामंजस्य बिठाने में है। अंतिम मसौदा संभवतः अनुच्छेद 44 के निर्देश को संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक धार्मिक स्वतंत्रता के साथ संतुलित करने के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** भारतीय संविधान, महत्वपूर्ण प्रावधानों और व्यक्तिगत कानून बनाम धर्मनिरपेक्ष कानूनों के विकास से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
- **GS पेपर I (समाज):** धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता और सामाजिक सशक्तिकरण पर चर्चा के लिए प्रासंगिक, विशेष रूप से धार्मिक ढांचे के भीतर लैंगिक अधिकारों के संबंध में।
- **निबंध/एथिक्स (नीतिशास्त्र):** "एकरूपता बनाम विविधता" और "कानूनी नैतिकता बनाम सामाजिक नैतिकता" के बीच बहस लंबे समय तक चलने वाले विश्लेषणात्मक लेखन के लिए एक निरंतर विषय है।

4. ILO में CITU की शिकायत: भारत में श्रम अधिकारों का उल्लंघन

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU) की दिल्ली राज्य समिति ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के अधिकारों के "व्यवस्थित दमन" के संबंध में **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** के पास औपचारिक याचिका दायर की है। यह शिकायत ILO की **फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन (CFA)** समिति के पास दर्ज कराई गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकारों ने मजदूरी और काम के घंटों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का जवाब सामूहिक गिरफ्तारियों, अपराधीकरण और पुलिस की ज्यादतियों से दिया है। CITU का दावा है कि ये कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों, विशेष रूप से सामूहिक सौदेबाजी और शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

विवाद का मुख्य सारांश

- **अंतर्राष्ट्रीय शरण:** CITU ने ILO की 'फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन' समिति (CFA) का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें भारतीय राज्य और केंद्रीय अधिकारियों द्वारा मौलिक श्रम सिद्धांतों के "गंभीर और व्यवस्थित उल्लंघन" का आरोप लगाया गया है।
- **मुख्य शिकायतें:** श्रमिकों का विरोध स्थिर वास्तविक मजदूरी (अकुशल श्रम के लिए लगभग ₹11,314), जीवन यापन की बढ़ती लागत और नए श्रम कोड (Labour Codes) के कार्यान्वयन को लेकर था।
- **दमन के आरोप:** शिकायत में लगभग 800 वयस्कों और 350 किशोरों की हिरासत, ट्रेड यूनियन कार्यालयों को सील करने और श्रम लामबंदी को रोकने के लिए आपराधिक कार्यवाही के उपयोग पर प्रकाश डाला गया है।
- **जवाबदेही की मांग:** CITU ने ILO से पुलिस आचरण की स्वतंत्र न्यायिक जांच और हिरासत में लिए गए यूनियन नेताओं और श्रमिकों की तत्काल रिहाई की सिफारिश करने का आग्रह किया है।
- **सामूहिक सौदेबाजी का संकट:** यूनियन का दावा है कि नियोक्ताओं, कर्मचारियों और राज्य के बीच संवाद के संस्थागत तंत्र टूट गए हैं, जिससे वर्तमान औद्योगिक अशांति पैदा हुई है।



संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

- **अनुच्छेद 19(1)(c):** संघ या यूनियन बनाने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 19(1)(b):** शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने के अधिकार की गारंटी देता है, जो श्रम हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों का आधार बनता है।
- **अनुच्छेद 43:** एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य को "निर्वाह मजदूरी" और काम की ऐसी परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने का निर्देश देता है जो जीवन का एक सभ्य स्तर सुनिश्चित करें।
- **ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926:** ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण का प्रावधान करता है और उन्हें नागरिक और आपराधिक दायित्व से कुछ छूट प्रदान करता है।

प्रमुख परिभाषाएँ

- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO):** संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी जिसका जनादेश अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक निर्धारित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है।
- **वास्तविक मजदूरी (Real Wages):** मुद्रास्फीति के लिए समायोजित मजदूरी, जो श्रमिक की कमाई की वास्तविक क्रय शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है।

5. आंध्र प्रदेश में गूगल का 1-गीगावाट AI डेटा हब: एक डिजिटल मील का पत्थर

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापत्तनम के तरलुवाड़ा में गूगल के विशाल हाइपरस्केल AI डेटा सेंटर की आधारशिला रखी है। ₹1.35 लाख करोड़ के निवेश के साथ, यह भारत में सबसे बड़े एकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में से एक है। यह परियोजना गूगल की सहायक कंपनी 'रेडेन इन्फोटेक' और 'अडानी इंफ्रा' के बीच एक सहयोगी उद्यम है।

डिजिटल हब परियोजना का मुख्य सारांश

- **अभूतपूर्व निवेश:** ₹1.35 लाख करोड़ का निवेश भारत के डिजिटल परिवर्तन के प्रति गूगल की \$15 बिलियन की व्यापक प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है।
- **क्षमता में भारी वृद्धि:** 1-GW (गीगावाट) क्षमता के साथ, यह एकल साइट भारत की वर्तमान राष्ट्रीय क्षमता (लगभग 1.3 GW) को लगभग दोगुना कर देगी।
- **वैश्विक कनेक्टिविटी:** एक समर्पित **सबसे केबल सिस्टम** (समुद्र के नीचे केबल) का एकीकरण विशाखापत्तनम को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से उच्च गति के सीधे डिजिटल लिंक प्रदान करेगा।
- **रोजगार और पारिस्थितिकी तंत्र:** इस हब से AI, साइबर सुरक्षा और डेटा विज्ञान में उच्च-मूल्य वाली नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।



प्रमुख परिभाषाएँ और तकनीकी अवधारणाएँ

- **हाइपरस्केल डेटा सेंटर:** एक विशाल सुविधा जिसे क्लाउड सेवा प्रदाताओं के बड़े डेटा और स्केलेबल अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- **डेटा संप्रभुता (Data Sovereignty):** यह अवधारणा कि डेटा उस राष्ट्र के कानूनों और शासन संरचनाओं के अधीन है जहाँ वह भौतिक रूप से एकत्र और संग्रहीत किया जाता है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:** यह डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है और डेटा भंडारण और गोपनीयता के संबंध में सख्त अनुपालन अनिवार्य करता है।

6. UNGA अध्यक्ष की भारत यात्रा: बहुपक्षवाद और UNSC सुधार पर ध्यान

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र की अध्यक्ष, एनालेना बेयरबॉक ने 28 अप्रैल, 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा की। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ उनकी बैठक में "UN80", सुधारित बहुपक्षवाद और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के नियमन पर चर्चा केंद्रित रही।

अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव का मुख्य सारांश

- **सुधारित बहुपक्षवाद:** दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र को 21वीं सदी में प्रासंगिक बने रहने के लिए समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं, विशेष रूप से 'ग्लोबल साउथ' के उदय को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
- **UNSC विस्तार:** बेयरबॉक ने सुरक्षा परिषद के सुधार के लिए समर्थन दोहराया, यह देखते हुए कि भारत और जर्मनी (G4 के हिस्से के रूप में) स्थायी सदस्यता के प्रमुख आकांक्षी हैं।
- **"बोर्ड ऑफ पीस" की आलोचना:** UNGA अध्यक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित शुल्क-आधारित शांति ढांचे के खिलाफ चेतावनी दी, यह तर्क देते हुए कि "न्यायपूर्ण शांति" खरीदी नहीं जा सकती।
- **AI गवर्नेंस:** चर्चा में AI के नैतिक नियमन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसे UN80 एजेंडे के लिए वैश्विक प्राथमिकता माना गया है।
- **भारत की विरासत:** बेयरबॉक ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत के ऐतिहासिक योगदान (3,00,000 से अधिक सैनिक) की सराहना की।



संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय ढांचा

- **अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देता है।
- **UN चार्टर (अनुच्छेद 2):** अपने सभी सदस्यों की संप्रभु समानता का आदेश देता है।
- **ग्लोबल साउथ (Global South):** एक शब्द जिसका उपयोग विकासशील और कम विकसित देशों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के विकासशील हिस्सों में स्थित हैं।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ संस्थागत अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। भारत-जर्मनी आम सहमति बताती है कि समाधान विखंडन के बजाय "सुधारित बहुपक्षवाद" में निहित है। भारत के लिए, यह यात्रा 'ग्लोबल साउथ की आवाज' के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का एक अवसर थी।

7. न्यायिक सुधार (Judicial Recusal): कानूनी मानक और दिल्ली उच्च न्यायालय का उदाहरण

20 अप्रैल, 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम देखा गया, जब न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से खुद को अलग करने (Recuse) से इनकार कर दिया। आरोपी द्वारा पूर्व न्यायिक निष्कर्षों, वैचारिक झुकाव और परिवार के सदस्यों के पेशेवर संबंधों के आधार पर पक्षपात की उचित आशंका का हवाला देते हुए न्यायाधीश के हटने की मांग की गई थी। इस प्रकरण ने "बैठने का कर्तव्य" (Duty to Sit) बनाम "तटस्थता के सिद्धांतों" (Principles of Neutrality) पर देशव्यापी बहस को फिर से शुरू कर दिया है।

न्यायिक सुधार (Recusal) बहस का मुख्य सारांश

- **आशंका के आधार:** न्यायाधीश के हटने की याचिका न्यायाधीश की कथित वैचारिक प्रवृत्ति, अभियोजक सरकार के लिए पैनल अधिवक्ताओं के रूप में काम करने वाले परिवार के सदस्यों और इसी मामले में पिछले प्रतिकूल निष्कर्षों पर आधारित थी।



- **संहिताकरण का अभाव:** प्रक्रियात्मक कानूनों के विपरीत, भारत में न्यायिक सुधार (Recusal) संहिताबद्ध नहीं है; यह संवैधानिक नैतिकता, न्यायिक नैतिकता और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित मिसालों द्वारा शासित होता है।
- **उचित आशंका बनाम वास्तविक पक्षपात:** भारतीय न्यायशास्त्र इस बात पर जोर देता है कि मुकदमेबाज के मन में "पक्षपात की उचित आशंका" ही न्यायाधीश के हटने के लिए पर्याप्त है, न कि "वास्तविक पक्षपात" साबित करने की सख्त आवश्यकता।
- **बैंगलोर सिद्धांत:** न्यायिक आचरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक यह अनिवार्य करते हैं कि सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए एक न्यायाधीश को न केवल अनुचितता बल्कि "अनुचितता की उपस्थिति" से भी बचना चाहिए।

संवैधानिक और कानूनी ढांचा

- **अनुच्छेद 14 और 21:** एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार समानता के अधिकार और जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार का एक मौलिक हिस्सा है।
- **पद की शपथ (तीसरी अनुसूची):** न्यायाधीश "बिना किसी डर या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के" अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ लेते हैं, जो 'रिक्व्यूजल' सिद्धांत का नैतिक आधार है।
- **Nemo Judex in Causa Sua:** प्राकृतिक न्याय का एक मौलिक सिद्धांत जिसका अर्थ है कि "कोई भी अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए।"
- **आवश्यकता का सिद्धांत (Doctrine of Necessity):** एक कानूनी अपवाद जहाँ एक न्यायाधीश को पक्षपाती होने पर भी मामला सुनना पड़ता है, यदि कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी या वैकल्पिक पीठ उपलब्ध न हो।

प्रमुख न्यायिक मिसालें

- **रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ (1987):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पक्षपात का परीक्षण संबंधित पक्ष के मन में "उचित आशंका" है, न कि न्यायाधीश का स्वयं की ईमानदारी का आकलन।
- **एनजेएसी मामला (2015):** दोहराया गया कि प्रश्न यह है कि क्या "निष्पक्ष सोच वाले समाज" को न्यायाधीश की निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह होगा।

8. आरटीई (RTE) अधिनियम और सामाजिक समावेश: एकीकृत शिक्षा मॉडल को सुदृढ़ बनाना

जनवरी 2026 के एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) की संवैधानिक वैधता और सामाजिक आवश्यकता की पुष्टि की। यह प्रावधान, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और वंचित समूहों (DG) के बच्चों के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% आरक्षण अनिवार्य करता है, को न्यायालय द्वारा "दर्जे की समानता" को क्रियान्वित करने की एक सोची-समझी रणनीति के रूप में वर्णित किया गया।

शैक्षिक सामाजिक समावेश का मुख्य सारांश

- **समानता के लिए संवैधानिक रणनीति:** सुप्रीम कोर्ट ने धारा 12(1)(c) को केवल आरक्षण के रूप में नहीं बल्कि "मिश्रित कक्षाओं" (Blended Classrooms) बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में देखा।
- **सकारात्मक सामाजिक परिणाम:** शोध बताते हैं कि मिश्रित कक्षाएं भेदभाव को कम करती हैं और शैक्षणिक मानकों से समझौता किए बिना छात्रों के बीच उदारता और सामाजिक व्यवहार को बढ़ाती हैं।
- **उच्च प्रतिधारण और पहुंच:** कार्यान्वयन के बाद से, 50 लाख से अधिक बच्चों ने निजी संस्थानों तक पहुंच प्राप्त की है, जिसमें प्रतिधारण दर (retention rate) 90% से अधिक है।
- **सामाजिक पूंजी और आकांक्षाएं:** शिक्षा के अलावा, यह अधिनियम वंचित बच्चों को साथियों के नेटवर्क, संस्थागत संस्कृतियों और उच्च आत्म-विश्वास तक पहुंच प्रदान करता है।



संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

- **अनुच्छेद 21-A:** 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से जोड़ा गया, यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है।
- **आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(c):** प्रवेश स्तर (प्री-स्कूल या कक्षा 1) पर EWS/DG श्रेणियों के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% मुफ्त सीटें अनिवार्य करती हैं।
- **अनुच्छेद 15:** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है।
- **वित्त पोषण:** आरटीई अधिनियम की धारा 7 केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय जिम्मेदारियों के बंटवारे को निर्दिष्ट करती है (वर्तमान में अधिकांश राज्यों के लिए 60:40 का अनुपात)।

9. नासिक कॉर्पोरेट कदाचार मामला: कानूनी और नैतिक आयाम

नासिक पुलिस ने हाल ही में एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगम के कार्यालय में यौन शोषण, बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले की जांच की है। मार्च और अप्रैल 2026 के बीच, कर्मचारियों की शिकायतों के आधार पर नौ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गईं, जिनमें धोखे से यौन संबंध बनाने और इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए संस्थागत दबाव का आरोप लगाया गया था।

नासिक मामले का मुख्य सारांश

- आरोपों की प्रकृति:** शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि वरिष्ठ या प्रभावशाली कर्मचारियों ने शादी के बहाने अधीनस्थों का यौन शोषण करने के लिए अपने पदों का दुरुपयोग किया और उन पर अपना धर्म छोड़ने का दबाव डाला।
- विशेष जांच दल (SIT):** 9 एफआईआर की जांच के लिए सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में 12 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है।
- एट्रोसिटी एक्ट का समावेश:** प्रारंभिक प्राथमिकी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की कड़ी धाराएं लगाई गई थीं।
- राज्य में धर्मांतरण कानून का अभाव:** बचाव पक्ष द्वारा उठाया गया एक प्रमुख कानूनी बिंदु यह है कि महाराष्ट्र में वर्तमान में विशिष्ट "धर्म की स्वतंत्रता" (धर्मांतरण विरोधी) अधिनियम का अभाव है, जिससे मौजूदा कानूनों के तहत "जबरन धर्मांतरण" के आरोपों का कानूनी आधार जटिल हो जाता है।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

- अनुच्छेद 25:** अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने (रेवरेंड स्टेनिसलास बनाम मध्य प्रदेश में) कहा कि प्रचार करने के अधिकार में दूसरे व्यक्ति को धर्मांतरित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69:** "धोखेबाज साधनों" को नियोजित करके या शादी करने का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने से संबंधित है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:** शिकायतों के समाधान के लिए एक आंतरिक समिति (IC) के गठन को अनिवार्य करता है।

निष्कर्ष

नासिक मामला आपराधिक कानून, कॉर्पोरेट प्रशासन और संवैधानिक स्वतंत्रता के एक जटिल प्रतिच्छेदन को प्रस्तुत करता है। निगमों के लिए, यह एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है कि आंतरिक शिकायत तंत्र इतने मजबूत होने चाहिए कि वे कर्मचारियों का विश्वास जीत सकें, ताकि लंबे समय तक चलने वाले प्रणालीगत दुरुपयोग का पता चल सके।

UPSC प्रासंगिकता: ये सभी विषय GS पेपर II (शासन और न्यायपालिका), GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/शिक्षा) और GS पेपर IV (नीतिशास्त्र) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

10. उत्तराखंड के जंगलों की आग: पारिस्थितिक प्रभाव और प्रबंधन चुनौतियाँ

उत्तराखंड में वनाग्नि (जंगलों की आग) की घटनाओं में भारी वृद्धि देखी गई है, जिसमें 15 फरवरी से 27 अप्रैल, 2026 के बीच 226 घटनाओं में लगभग 144.22 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। गढ़वाल क्षेत्र सबसे संवेदनशील क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो कुल नुकसान का लगभग 78% है। इन घटनाओं ने जैव विविधता के नुकसान और आगामी गर्मियों के पीक सीजन से पहले राज्य के आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में व्यापक चिंता पैदा कर दी है।

संकट का मुख्य सारांश

- प्रभाव में क्षेत्रीय असमानता:** गढ़वाल क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है, जहाँ 177 घटनाएं और 110.52 हेक्टेयर का नुकसान दर्ज किया गया है, जो कुमाऊं क्षेत्र और वन्यजीव क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है।
- समय का पैटर्न:** आग का पीक सीजन आमतौर पर मानसून-पूर्व अवधि (फरवरी से जून) के साथ मेल खाता है जब चीड़ की सूखी पत्तियों (पिरुल) के जमा होने और मिट्टी की नमी की कमी के कारण अत्यधिक ज्वलनशील स्थितियाँ बन जाती हैं।



- **पारिस्थितिक गिरावट:** खड़े पेड़ों के नुकसान के अलावा, वनाग्नि मिट्टी की ऊपरी उर्वर परत (ह्यूमस) को नष्ट कर देती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता और जंगल की प्राकृतिक पुनरुद्धार क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **वन्यजीवों पर प्रभाव:** वन्यजीव क्षेत्रों में 12.55 हेक्टेयर में फैली 21 घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे महत्वपूर्ण आवासों को खतरा पैदा हो गया और जानवरों के झुलसे हुए क्षेत्रों से भागने के कारण मानव-पशु संघर्ष की संभावना बढ़ गई।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

- **अनुच्छेद 48A:** राज्य को देश के पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 51A(g):** वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।
- **भारतीय वन अधिनियम, 1927:** वन भूमि की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और जानबूझकर आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार देता है।
- **समवर्ती सूची:** "वन" (प्रविष्टि 17A) संघ और राज्य दोनों सरकारों को वनाग्नि प्रबंधन पर कानून बनाने की अनुमति देता है।

11. अंडमान सागर त्रासदी: रोहिंग्या समुद्री संकट और शासन का अभाव

अप्रैल 2026 के मध्य में एक विनाशकारी समुद्री दुर्घटना में अंडमान सागर में एक खचाखच भरे मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर के पलटने से लगभग 250 व्यक्तियों की मौत की आशंका है। कॉक्स बाजार से रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी नागरिकों को ले जा रहा यह जहाज खतरनाक 1,500 समुद्री मील लंबे मार्ग से मलेशिया पहुंचने का प्रयास कर रहा था।

मानवीय संकट का मुख्य सारांश

- **रिकॉर्ड मृत्यु दर:** UNHCR अंडमान सागर मार्ग को दुनिया के सबसे घातक मार्गों में से एक मानता है। 2025 में इस यात्रा के दौरान हर 7 में से लगभग 1 व्यक्ति की मौत हुई।



- **क्षेत्रीय शासन का अभाव:** दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में खोज और बचाव (SAR) या शरणार्थी संरक्षण के लिए बाध्यकारी क्षेत्रीय ढांचे का अभाव है।
- **गैर-हस्ताक्षरकर्ता स्थिति:** भारत, बांग्लादेश और मलेशिया जैसे प्रमुख क्षेत्रीय देश 1951 के शरणार्थी सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप आगमन के प्रति तदर्थ (Ad-hoc) प्रतिक्रियाएं होती हैं।
- **अप्रतिवर्तन (Non-Refoulement):** अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक मौलिक सिद्धांत जो किसी देश को शरण चाहने वालों को ऐसे देश में वापस भेजने से रोकता है जहाँ उन्हें उत्पीड़न का खतरा हो।


12. पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियामक कार्रवाई: वित्तीय निहितार्थ और कानूनी ढांचा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस औपचारिक रूप से रद्द कर दिया है, जो कई वर्षों से चली आ रही नियामक सख्ती के अंतिम चरण का प्रतीक है। यह निर्णय बैंक की परिचालन संरचना, कमजोर केवाईसी (KYC) नियंत्रणों और इसकी मूल कंपनी, वन97 कम्युनिकेशंस पर अत्यधिक निर्भरता के संबंध में निरंतर चिंताओं के बाद लिया गया है।

नियामक कार्रवाई का मुख्य सारांश

- **लाइसेंस की समाप्ति:** RBI ने 24 अप्रैल, 2026 से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(4) के तहत PPBL का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब यह बैंक जमा स्वीकार करने जैसी बैंकिंग गतिविधियां नहीं कर पाएगा।
- **पेमेंट्स बैंक मॉडल की गिरावट:** वित्त वर्ष 16 में जारी 11 मूल लाइसेंसों में से अब केवल पांच शेष रह गए हैं, जो भारत में इस विभेदित बैंकिंग मॉडल की चुनौतियों को उजागर करता है।
- **ऋण बाधाएं हटीं:** कानूनी रूप से, एक इकाई के पास पेमेंट्स बैंक और NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) दोनों का लाइसेंस नहीं हो सकता था; अब लाइसेंस रद्द होने से पेटीएम के लिए संभावित रूप से पूर्ण ऋण इकाई (lending entity) बनने का रास्ता साफ हो गया है।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान



- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949:** RBI को बैंकिंग लाइसेंस देने, निगरानी करने और रद्द करने (धारा 22) का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002:** RBI द्वारा चिन्हित कमजोर केवाईसी नियंत्रण इस अधिनियम के दायरे में आते हैं, जो वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए सख्ती से लागू किए जाते हैं।

निष्कर्ष

पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द होना भारत के फिनटेक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह डेटा गोपनीयता और केवाईसी मानदंडों के संबंध में RBI के अडिग रुख को रेखांकित करता है। उद्योग के लिए व्यापक संदेश यह है कि दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी नवाचार को एक पारदर्शी नियामक ढांचे के साथ मेल खाना चाहिए।

UPSC प्रासंगिकता: ये विषय GS पेपर III (पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, अर्थव्यवस्था) और GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शासन) के लिए महत्वपूर्ण हैं।

